

४८

भारत सरकार और ईराक सरकार के बीच

हवाई व्यवस्था सम्बन्धी करार

इस करार में भारत सरकार और ईराक सरकार को करार करने वाले पक्ष कहा गया है।

इन दोनों सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानी अभिसमय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई व्यवस्था पारवहन करार को माना है, जिन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर मुर थे। उस अभिसमय और करार की शर्ति इन दोनों पक्षों पर लागू होती है। दोनों अपने घूम पार्गों के बीच और उनके बाहर हवाई परिवहन व्यवस्थाएं चलाने के लिये करार करने की इच्छा से इन बातों पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1.

करार करने वाला हर पक्ष करार करने वाले दूसरे पक्ष को इस करार के अनुबंध में बताई हवाई व्यवस्थाओं के चालन का अधिकार देता है (जिन्हें इसके बाद 'निर्दिष्ट हवाई व्यवस्थाएं' कहा गया है।)

अनुच्छेद 2.

(क) करार करने वाले जिस पक्ष को अधिकार दिये गए हैं, वह जैसा चाहे, हर एक निर्दिष्ट हवाई व्यवस्था तुरन्त ही या कुछ समय बाद चालू की जा सकती है। परन्तु शर्त यह है कि --

(1) करार करने वाले जिस पक्ष को अधिकार दिये गये हैं, उसने किसी हवाई कम्पनी को निर्दिष्ट हवाई मार्ग के लिए नामज़द कर दिया हो। (जिसे इसके बाद 'नामज़द हवाई कम्पनी' कहा गया है।)

(2) करार करने वाले जिस पक्ष ने अधिकार दिये हैं, उसने हवाई कम्पनी को चालन की उचित अनुमति दे दी हो। यह अनुमति उसे तुरन्त ही देनी पड़ेगी। लेकिन हवाई कम्पनी को, आर कहा जाय, तो उसे इस अनुच्छेद के

पैरा (स) में बताई आवश्यकताओं को पूरा करना होगा ।

(स) हो सकता है कि नामज्जद हवाई कम्पनी को करार करने वाले जिस पक्ष ने अधिकार दिये हैं, उसके वैमानिकी अधिकारियों को इस बात का इत्मीनान कराना पड़े कि उन अधिकारियों ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई व्यवस्थाएं चलाने के लिये सामान्य रूप से जो कानून कायदे बना रखे हैं, उनकी या उनके अधीन बताई गई शर्तों को पूरी करने की योग्यता उस हवाई कम्पनी में है ।

(ग) हर एक निर्दिष्ट हवाई व्यवस्था तभी चालू होगी जब करार करने वाला तत्सम्बन्धी पक्ष यह मान ले कि निर्दिष्ट हवाई मार्ग पर सिविल विमानी के लिये जो मार्ग-प्रबंध है, वह हवाई व्यवस्था के सुरक्षित चालन के लिये पर्याप्त है ।

अनुच्छेद 3.

करार करने वाले हर पक्ष की निर्दिष्ट हवाई व्यवस्थाएं चलाने वाली नामज्जद हवाई कम्पनियाँ, अनुच्छेद 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, करार करने वाले दूसरे पक्ष के मूभाग में, अनुबंध में बताए स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात उठा, उतार सकती है, चाहे यह यातायात करार करने वाले पहले पक्ष के या उसी निर्दिष्ट हवाई मार्ग पर स्थित किसी तीसरे देश के मूभाग में से आया हो या वहाँ जाने वाला हो ।

अनुच्छेद 4.

(क) करार करने वाले पक्षों के वैमानिकी अधिकारी मिल कर यह तय करेंगे कि जो निर्दिष्ट हवाई व्यवस्थाएं चालू होनी है, उनके हर निर्दिष्ट मार्ग पर हर पक्ष के मूभाग से उठाकर दूसरे पक्ष के मूभाग में उतारने के लिये उचित रूप से जो भी यात्री, डाक, माल, एक निश्चित समय में मिलने की संभावना हो, उस सारे यातायात को उचित मार अनुपात में उस निश्चित समय में लाने, ले जाने के लिए कुल कितनी जाह की आवश्यकता पड़ेगी । इसके बाद वैमानिकी अधिकारी यह तय करेंगे कि करार करने वाले हर पक्ष की नामज्जद हवाई कम्पनियाँ कितनी जाह रक्खी बौर कितनी उड़ानें करें ।

(स) इस अनुच्छेद में 'निश्चित समय' का आशय करार के लागू होने की तारीख से पहले बारह महीने होगा और उसके बागे भी जब तक वैमानिकी

अधिकारियों में कुछ और समझौता न हो गया हो, हर बारह महीने की अवधि समाप्त होगा ।

(ग) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार जाह के बारे में सभीका पूरी होने तक करार करने वाले पक्षों की हवाई कम्पनियाँ, अपनी हवाई व्यवस्था और के लिये उतनी ही उड़ानें और जाह रखती जाएंगी, जो करार करने वाले पक्षों के वैमानिकी अधिकारियों ने पिछली बार तय किया हो ।

अनुच्छेद 5.

(क) करार करने वाले दोनों पक्षों के वैमानिकी अधिकारी अपनी नामजद हवाई कम्पनियों को करार करने वाले दूसरे पक्ष के मुमाग से, उससे ही कर, या वहां तक हवाई व्यवस्थाएं चालू करने के लिये जो प्रचलित अधिकार हैं, उन के बारे में जितनी जटिली ही सके, एक दूसरे को सूचना देंगे । इस सूचना में संशोधनों, कूट जादेशों, और अधिकृत व्यवस्था के नमूनों सहित निर्दिष्ट हवाई मार्ग पर व्यवस्था के प्रमाण पत्रों और अधिकार पत्रों की प्रतियाँ भी शामिल होंगी ।

(ल) करार करने वाला हर पक्ष दूसरे पक्ष के वैमानिकी अधिकारियों के पास, जितना पहले ही सके, संशोधनों सहित समय-सारिधियों और शुल्क सुचियों की प्रतियाँ भिजवाएगा और साथ ही दूसरी सारी संतत सूचनाएं भी भिजवाएगा । उनमें ऐसी सूचनाएं भी शामिल होंगी, जिसे वैमानिकी अधिकारियों को इस बात का इतनीनान ही सके कि इस करार की बातों का पूरा पूरा पालन किया जा रहा है ।

(ग) करार करने वाला हर पक्ष अपनी नामजद हवाई कम्पनियों से दूसरे पक्ष के वैमानिकी अधिकारियों को वे सब बांकड़े दिलवाएगा, जिनका सम्बन्ध उस यातायात से हो जो उनकी हवाई व्यवस्थाओं द्वारा, करार करने वाले दूसरे पक्ष के मुमाग को गया हो, वहां से आया हो या उसके ऊपर लेजाया गया हो । इन ओंकड़ों में इस यातायात का उद्दाम और निर्दिष्ट स्थान भी दिखाया जाय ।

अनुच्छेद 6.

(क) शुल्क दर उचित मात्रा में तय किए जाएंगे । इन्हें तय करने में व्यवस्था के तुलनात्मक चालू लेवी, उचित लाप और व्यवस्था के प्रकार में भेद, सब संगत बातों का ध्यान रखना जाएगा ।

(ख) करार करने वाले हर पक्ष की नामजद हवाई कम्पनियाँ, इस अनुच्छेद के अधीन, दूसरे पक्ष के मूलग से या उसकी ताने लेजाने वाले यातायार पर जो शुल्क दर लगाएगी, उनको दोनों पक्षों की नामजद हवाई कम्पनियाँ पहले स्वयं ही समझता करके तय कर लेगी। इस के लिये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संस्था के स्वीकार किर तुर संत शुल्क दरों का भी उचित घ्यान रखा जाएगा। इस प्रकार जो शुल्क-दर्त तय की जाएगी, उनका अनुमोदन करार करने वाले पक्षों के लिये बिधिकारियों से कराना ज़हरी होगा। आर हवाई कम्पनियाँ या वैमानिकी बिधिकारियों के बीच कोई समझौता न हो सके, तो करार करने वाले पक्ष स्वयं ही भित्तिक समझौता करने की कोशिश करेंगे और इस समझौते को पूरा करने के लिये आवश्यक कार्यवाही भी करेंगे। आर करार करने वाले पक्ष में भी आपस में समझौता न हो पार तो फगड़े का निपटारा अनुच्छेद 11 के अनुसार किया जायेगा। इस समझौते के हो जाने तक जो शुल्क दर ऐ निर्धारित है, वही लागू होगे।

अनुच्छेद 7.

नीचे लिखे विषयों के बारे में करार करने वाले पक्ष की नामजद हवाई कम्पनियाँ के साथ करार करने वाला पक्ष जो व्यवहार करेगा, वह उस व्यवहार से कम बच्चा न होगा जो कि वह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई व्यवस्था लगाने वाली किसी परम भिन्न राष्ट्र की या अपनी हवाई कम्पनियाँ के साथ करता हो।

(क) करार करने वाले एक पक्ष की हवाई कम्पनी के हवाई जहाज करार करने वाले दूसरे पक्ष के मूलग में जो हिचन, मशीनी तेल और फालदू पुर्जे ले जाएं जो उस मूलग के अन्तम हवाई अड्डे से रवाना होने तक हवाई जहाज में ही रहें, उन पर लगने वाले सभी शुल्क, निरीचण शुल्क और ऐसे ही दूसरे प्रभार।

(ख) सामान्य उपस्कर या हवाई जहाज के दूसरे सामान पर जो, या तो हवाई जहाज में ही लगा लिया गया हो या उसमें लादा गया हो और जो केवल उसी हवाई जहाज में या उसके द्वारा काम में आने वाला हो और जो उस मूलग के अन्तम हवाई अड्डे से रवाना होने तक हवाई जहाज में ही लगा रहे, उस पर लगने वाले सीमा शुल्क।

शर्ती यह है कि करार करने वाला कोहे भी पक्ष दूसरे पक्ष की नामजद हवाई कम्पनियों को सीमा शुल्क, निरीचण शुल्क या हसी प्रकार के

दूसरे प्रभारों में क्षुट या कमी करने के लिए बाध्य न होगा, जब तक कि करार करने वाला दूसरा पक्ष भी करार करने वाले पहले पक्ष की नामजूद हवाई कम्पनियों पर लगने वाले ऐसे ही प्रभारों में क्षुट या कमी न करे ।

अनुच्छेद 8.

आर कमी एक पक्ष को इस बात का इत्मीनान न हो सके कि हवाई कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण दूसरे पक्ष के राष्ट्रियों के हाथ में है या दूसरे पक्ष की नामजूद हवाई कम्पनी पहले पक्ष के नियम कायदों का पालन न कर सके, या पहला पक्ष यह निर्णय दें कि इस करार के अनुसार जिन शर्तों के अधीन अधिकार दिये गये थे, उनको पूरा नहीं किया गया है, तो करार करने वाले हर पक्ष को अपनी तरफ से यह अधिकार होगा कि वह चालन अनुमति को चाहे रौक दे या रद्द कर दे या उस पर जो आवश्यक समझौते शर्त लगा दे । कानून कायदों के पालन न किये जाने की स्थिति को छोड़ कर, यह कार्यवाही दोनों पक्षों में परामर्श हो जाने के बाद की जाएगी । आर एक पक्ष इस अनुच्छेद के अधीन कोई कार्यवाही करता है, तो अनुच्छेद 11 में दूसरे पक्ष को जो अधिकार दिये गये है, उनका इस कार्यवाही से कोई अहित नहीं होगा ।

अनुच्छेद 9.

(क) इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि इस अनुच्छेद में बताए गए दोनों का पालन होता है और उपबन्धों की पूर्ति की जाती है, करार करने वाले दोनों पक्षों के वैमानिकी अधिकारी निकट सहयोग की भावना से नियमित रूप से परामर्श किया करेंगे ।

(ख) करार करने वाला कोई पक्ष करार में जो भी संशोधन करना अनिवार्य समझे, उसकी शुरुआत के लिए किसी भी समय दूसरे पक्ष से परामर्श की प्रार्थना कर सकता है यह परामर्श प्रार्थना-पत्र की तारीख की 60 दिन की अवधि के अन्दर शुरू हो जाएगा । इस परामर्श के फलस्वरूप करार में जो संशोधन करना निश्चय किया जाएगा वह दोनों देशों के वैधानिक विनियमों के अधीन दरकार औपचारिकताओं के पूरे हो जाने की तारीख से लागू हो जाएगा ।

(ग) करार करने वाला कोई पक्ष निदिष्ट हवाई मार्ग में जो परिवर्तन करे, उनको इस करार के भेद न माना जाएगा, सिवाय जब कि इस परिवर्तन से नामजूद हवाई कम्पनियां करार करने वाले दूसरे पक्ष के भूभाग में जिन स्थानों पर जाती हैं उनमें केर बदल हो जाय। इसलिए करार करने वाले किसी पक्ष के वैमानिकी अधिकारी अपेक्षा ही ये परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दूसरे पक्ष के वैमानिकी अधिकारियों को इस परिवर्तन की सूचना जल्दी से जल्दी देनी होगी। आर दूसरे पक्ष के इन वैमानिकी अधिकारियों को यह पता चले कि करार करने वाले पहले पक्ष की नामजूद हवाई कम्पनी दूसरे पक्ष के भूभाग और तीसरे देश के भूभाग के किसी न स्थान के बीच जो यातायात ले जाती है, उससे इस करार में बताये सिद्धान्तों को देखते हुए, दूसरे पक्ष की किसी हवाई कम्पनी के हितों की हानि होती है, तो दूसरा पक्ष इस अनुच्छेद के पैरा (ख) के उपबन्धों के अनुसार परामर्श के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

अनुच्छेद 10.

करार करने वाला कोई पक्ष किसी भी समय इस करार को सत्त्व करने की अपनी इच्छा का नोटिस दूसरे पक्ष को दे सकता है। यह नोटिस साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानी संगठन को भी भेजा जाएगा। नोटिस मिलने की तारीख के एक साल की अवधि तक आर समफौता करके यह नोटिस लौटा न लिया जाए तो यह करार सत्त्व हो जाएगा। आर करार करने वाले दूसरे पक्ष से नोटिस की प्राप्ति-रसीद न मिले तो यह मान लिया जाएगा कि जिस दिन यह नोटिस अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानी संगठन को मिला है, उसके चौदह दिन बाद उस पक्ष को भी मिल चुका है।

अनुच्छेद 11.

(क) आर वर्तमान करार के अर्थ करने या इसके लागू करने में करार करने वाले पक्षों के बीच कोई फगड़ा उठे तो सब से पहले करार करने वाले पक्ष ही आपस में बातचीत करके उसे तय करने की कोशिश करेंगे।

(ख) आर करार करने वाले पक्ष बातचीत करके समफौता न कर पायें तो :-

(1) वे उस फगड़े को किसी ऐसे पंच अधिकरण या किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय को देने के लिए आपस में सहमत हो सकते हैं, जिसे वे मिलकर नियुक्त करें।

(2) आर वे इस प्रकार सहमत नहीं होते या इस पर सहमत हो जाने के बाद कि फगड़ा किसी पंच अधिकरण को सौंप दिया जाय, वे उसकी

रचना के बारे में समझौता नहीं कर पाते तो करार करने वाला कोई पक्ष इस कगड़े को फैसले के लिए किसी ऐसे अधिकारण को दे सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानी संघर्ष के अन्तर्गत बना हो और इसका फैसला करने के लिए सज्जम हो और आर ऐसा कोई अधिकारण न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को साँप सकता है ।

(ग) करार करने वाले पक्ष जिम्मा लेते हैं कि इस अनुच्छेद के पैरा (ख) के अधीन जो भी फैसला दिया जाएगा, और साथ जो भी अंतरिम सिफारिशें की जाएंगी, उनको के मानेंगे ।

(घ) करार करने वाला कोई पक्ष या करार करने वाले किसी पक्ष की कोई नामजूद हवाई कम्पनी इस अनुच्छेद के पैरा (ग) में जो दरकार है यदि वह इसका पालन नहीं करता और जब तक पालन नहीं करता तो करार करने वाला दूसरा पक्ष उन अधिकारों को तब तक के लिए सीमित कर सकता है, रोक सकता है या रद्द भी कर सकता है, जो वर्तमान करार की बिना पर दिए गए हैं ।

अनुच्छेद 12

इस करार का सत्यांकन किया जाएगा और सत्यांकन पत्रों की अदला बदली की तारीख से ही लागू हो जाएगा । यह अदला बदली जल्दी से जल्दीबङ्गाद्धाद्.... में होगी ।

अनुच्छेद 13

आर हवाई परिवहन के बारे में कोई बहुफक्ती करार या अभिसमय किया जाय और करार करने वाले दोनों पक्ष उसको मानते हीं, तो वर्तमान करार में, उस करार या अभिसमय के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिए अदल बदल कर ली जायेगी ।

अनुच्छेद 14

(क) इस करार के लिए 'मूर्खाग' 'हवाई व्यवस्था' 'अन्तर्राष्ट्रीय हवाई व्यवस्था' और 'हवाई कम्पनी' शब्दों का वही आशय होगा जो 7 दिसम्बर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किये गये अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानी अभिसमय में बताया गया है ।

(स) 'वैमानिकी अधिकारी' शब्द का आशय भारत के लिए भारत में सिविल विमानी के प्रधान निदेशक और ईराक के लिए ईराक में सिविल विमानी के प्रधान निदेशक होगा और दोनों सूरतों में कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय होगा जो उन कामों को करने का अधिकारी हो, जिन को ऊपर बताए अधिकारी इन दिनों कर रहे हैं।

अनुच्छेद 15.

आर कहीं स्पष्ट रूप से कुछ और उपबन्ध न किया गया हो तो इस करार का अनुबन्ध करार का ही भाग माना जाएगा, और जब भी करार का उल्लेख होगा, उसमें अनुबन्ध का उल्लेख शामिल समझा जाएगा।


इसकी साज़ी में अपनी अपनी सरकारी से उचित रूप से अधिकार पाकर नीचे बताए पूणाधिकारियों ने वर्तमान करार पर हस्तांकार किये हैं।

आज २७.५.१९५५ ३० को अंग्रेज़ी, हिन्दी और अरबी में तैयार की गई। इसके तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। आर कहीं कोई संदेह हुआ तो अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

भारत सरकार की ओर से,

महान् शूद्र अहमद
महूब अहमद

ईराक सरकार की ओर से,


سالیہ ساہب الجبویری

भारत सरकार द्वारा नामजूद हवाई कम्पनी इस पैरा में बताए मार्गों पर दो-तरफा हवाई व्यवस्थाएं चालू कर सकेंगी और यातायात प्रयोजन के लिये ईराक के भूभाग में इस में नीचे लिखे हर स्थान पर अपने हवाई जहाज़ उतार सकेंगी ।

मार्ग एक :- भारत पाकिस्तान में स्थान, अफगानिस्तान में स्थान, ईराक स्थान, बसरा को, (और आर इच्छा हो तो आगे) या कादाद, द्यूरोप के स्थान (इसमें टकीं शामिल हैं) और आर इच्छा हो तो आगे भी ।

मार्ग दो :- भारत पाकिस्तान में एक स्थान, जदा, घरान, बेहरिन, ईरान से बसरा के स्थान और आर इच्छा हो आगे या कादाद, द्यूरोप के स्थान (इसमें टकीं शामिल हैं) और आर इच्छा हो तो आगे भी ।

2. ईराक सरकार द्वारा नामजूद हवाई कम्पनी इस पैरा में बताये मार्गों पर दो-तरफा हवाई व्यवस्थाएं चालू कर सकेंगी और यातायात प्रयोजन के लिये भारत के भूभाग में नीचे लिखे हर स्थान पर अपने हवाई जहाज़ उतार सकेंगी :

मार्ग एक :- ईराक, ईरान में स्थान, अफगानिस्तान में स्थान, फारस की खाड़ी में स्थान, जदा, कराची, दिल्ली या कलकत्ता और आर इच्छा हो तो आगे भी ।

मार्ग दो :- ईराक, ईरान में स्थान, अफगानिस्तान में स्थान, फारस की खाड़ी में स्थान, जदा, कराची, बम्बई और आर इच्छा हो तो आगे भी ।

3. (क) नामजूद हवाई कम्पनी चाहे तो किसी निर्दिष्ट मार्ग के स्थानों को किसी या हर उड़ान में छोड़ सकती है ।

(ख) आर, करार करने वाले किसी पक्ष की किसी एक निर्दिष्ट हवाई व्यवस्था की अनुसूचित उड़ानें यीं होने लगे कि वे करार करने वाले दूसरे पक्ष के भूभाग में ही सत्य हों जायं और उस भूभाग से आगे जाने वाली किसी सीधी हवाई व्यवस्था का मार्ग न हो, तो दूसरे पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी अनुसूचित उड़ानों का अन्त-स्थान अपने भूभाग में स्वयं मनीनीत करें । आर यह पक्ष ऐसी अनुसूचित उड़ानों का कोई नया अन्त-स्थान मनीनीत करना चाहता है तो वह पहले पक्ष को कम से कम छः महीने का नोटिस देगा ।

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA
AND THE GOVERNMENT OF IRAQ RELATING TO
AIR SERVICES.

// The Government of India and the Government of Iraq,
hereinafter described as the Contracting Parties,

BEING Contracting Parties to the Convention on
International Civil Aviation and the International Air
Services Transit Agreement, both signed at Chicago on the
seventh day of December, 1944, the terms of which Convention
and Agreement are binding on both parties,

AND desiring to conclude an agreement for the
operation of air transport services between and beyond their
respective territories

Have agreed as follows:

ARTICLE I.

Each Contracting Party grants to the other Contracting
Party the right to operate the air services specified in the
Annex to this Agreement (hereinafter referred to as the
"specified air services").

ARTICLE II.

(A) Each of the specified air services may be
inaugurated immediately or at a later date at the option of
the Contracting Party to whom the rights are granted, on
condition that:

1. The Contracting Party to whom the rights have been
granted shall have designated an airline
(hereinafter referred to as a "designated airline")
for the specified air route.
2. The Contracting Party which grants the rights shall
have given the appropriate operating permission to
the airline, which it shall do with the least
possible delay, provided that the airline has, if
called upon, complied with the requirements of
paragraph (B) of this Article.

(B) The designated airline may be required to satisfy
the aeronautical authorities of the Contracting Party
granting the rights that it is qualified to fulfil the
conditions prescribed by or under the laws and regulations
normally applied by those authorities to the operation of

100

international air services.

(C) The operation of each of the specified air services shall be subject to the agreement of the Contracting Party concerned that the route organization available for civil aviation on the specified air route is adequate for the safe operation of air services.

ARTICLE III.

The designated airlines of each Contracting Party operating the specified air services may, subject to the provisions of Article IV, set down or pick up in the territory of the other Contracting Party, at the points specified in the Annex, international traffic originating in or destined for the territory of the former Contracting Party or of a third country.

ARTICLE IV.

(A) The aeronautical authorities of the Contracting Parties shall jointly determine in respect of an agreed period the total capacity required for the carriage, at a reasonable load factor, of all traffic, that is to say passengers, cargo and mails, which may reasonably be expected to originate in the territory of each Contracting Party and to be disembarked in the territory of the other Contracting Party on the specified air services to be operated during that period on each of the specified air routes. The aeronautical authorities shall then determine the capacities and frequencies to be provided by the designated airline of each of the Contracting Parties.

(B) In this Article, "agreed period" means the first twelve months from the date this Agreement comes into force and, thereafter, every succeeding period of twelve months unless otherwise agreed between the aeronautical authorities.

(C) Pending the completion of any review of capacity in accordance with the provisions of this Article the designated airlines of the Contracting Parties shall be entitled to continue to make available on their air services

W

CAP

the capacities and frequencies last agreed between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE V.

(A) The aeronautical authorities of both Contracting Parties shall exchange information as promptly as possible concerning the current authorisations extended to their respective designated airlines to render service to, through and from the territory of the other Contracting Party. This will include copies of current certificates and authorizations for service on the specified air routes, together with amendments, exemption orders and authorised service patterns.

(B) Each Contracting Party shall cause its designated airlines to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, copies of time tables, tariff schedules, including any modification thereof, and all other relevant information concerning the operation of the specified air services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of this Agreement are being duly observed.

(C) Each Contracting Party shall cause its designated airlines to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried on their air services to, from or over the territory of the other Contracting Party showing the origin and destination of the traffic.

ARTICLE VI.

(A) Rates shall be fixed at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including costs of comparable economical operation, reasonable profit and differences of characteristics of service.

(B) The rates to be charged by the designated airlines of each Contracting Party in respect of traffic carried under this Agreement to or from the territory of the other Contracting Party shall be agreed in the first instance between the designated airlines of both the Parties and

LLP

CCP

shall have regard to relevant rates adopted by the International Air Transport Association. Any rates so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of the Contracting Parties. In the event of disagreement between the airlines and/or the aeronautical authorities, the Contracting Parties themselves shall endeavour to reach agreement and will take all necessary steps to give effect to such agreement. Should the Contracting Parties fail to agree, the dispute shall be dealt with in accordance with Article XI. Pending the settlement of any disagreement, the rates already established shall prevail.

ARTICLE VII.

In respect of customs duties, inspection fees and similar charges on supplies of fuel, lubricating oils, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced into or taken on board aircraft of the designated airlines of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and intended solely for use by or in such aircraft and remaining on board on departure from the last airport of call in that territory the designated airlines of the first Contracting Party shall be accorded treatment not less favourable than that granted by the second Contracting Party to the airlines of the most favoured nation or to its national airlines engaged in international air services: Provided that neither Contracting Party shall be obliged to grant to the designated airlines of the other Contracting Party, exemption or remission of customs duty, inspection fees or similar charges unless such other Contracting Party grants exemption or remission of such charges to the designated airlines of the first Contracting Party.

ARTICLE VIII.

Each Contracting Party reserves the right to itself to withhold or revoke, or impose such appropriate conditions as it may deem necessary with respect to an operating permission, in case it is not satisfied that substantial

ABY



ownership and effective control of the airline are vested in nationals of the other Contracting Party, or in case of failure by a designated airline of the other Party to comply with the laws and regulations of the former Party, or in case, in the judgement of the former Party, there is a failure to fulfil the conditions under which the rights are granted in accordance with this Agreement. Except in case of a failure to comply with laws and regulations, such action shall be taken only after consultation between the Parties. In the event of action by one Party under this Article, the rights of the other Party under Article XI shall not be prejudiced.

ARTICLE IX.

(A) In a spirit of close collaboration, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties will consult regularly with a view to assuring the observance of the principles and the implementation of the provisions outlined in this Agreement.

(B) Either Contracting Party may at any time request consultation with the other with a view to initiating any amendments of the Agreement which it may deem desirable. Such consultation shall begin within a period of sixty days from the date of the request. Any modification of this Agreement agreed to as a result of such consultation shall come into effect from the date of completion of formalities required under the Legislative Regulations in both countries.

(C) Changes made by either Contracting Party in the specified air routes, except those which change the points served by the designated airlines in the territory of the other Contracting Party, shall not be considered as modifications of this Agreement. The aeronautical authorities of either Contracting Party may, therefore, proceed unilaterally to make such changes, provided, however, that notice of any change shall be given without delay to the aeronautical authorities of the other Contracting Party. If such latter aeronautical authorities find that, having regard to the principles set forth in this Agreement, the

interests of any of their airlines are prejudiced by the carriage by a designated airline of the first Contracting Party of traffic between the territory of the second Contracting Party, and the new point in the territory of a third country, the latter Party may request consultation in accordance with the provisions of paragraph (B) of this Article.

ARTICLE X.

Either Contracting Party may at any time give notice to the other of its desire to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. This Agreement shall terminate one year after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice is withdrawn by agreement before the expiration of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE XI.

(A) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

(B) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation,

(i) they may agree to refer the dispute for decision to an arbitral tribunal or some other person or body appointed by agreement between them; or

(ii) if they do not so agree or if, having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal they cannot reach agreement as to its composition, either Contracting Party may submit the dispute for decision to any tribunal competent to decide it established within the International Civil Aviation Organisation, or, if there be no such tribunal, to the International Court of Justice.

(C) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given, including any interim recommendation made, under paragraph (B) of this Article.

44

ccp

(D) If and so long as either Contracting Party or a designated airline of either Contracting Party fails to comply with the requirements of paragraph (C) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights which it has granted by virtue of the present Agreement.

ARTICLE XII.

This Agreement shall be subject to ratification and shall come into force from the date of exchange of the instruments of ratification, which shall take place as soon as possible, at Baghdad.

ARTICLE XIII.

In the event of the conclusion of a multilateral convention or agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform with the provisions of such convention or agreement.

ARTICLE XIV.

(A) For the purpose of this Agreement the terms "territory", "air service", "international air service" and "air line" shall have the meaning specified in the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on December 7, 1944.

(B) The term "aeronautical authorities" shall mean, in the case of India, the Director General of Civil Aviation, India, and in the case of Iraq, the Director General of Civil Aviation, Iraq, and in both cases any person or body authorized to perform the functions presently exercised by the above mentioned authorities.

ARTICLE XV.

The Annex to this Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to the "Agreement" shall include references to the Annex, except where otherwise expressly provided.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their

U.S.

respective Governments, have signed the present
Agreement.

Done this Twentyseventh day of July 1955 A.D.
in English, Hindi and Arabic, all three texts being
equally authentic except in the case of doubt when the
English text shall prevail. 4

For the Government of India. For the Government of Iraq.

Mahboob Ahmed
(MAHBOOB AHMED)
Charge d'Affaires ad interim

Saleh
(SALIH SAIB AL-JUBURI)
Minister of Communications
and Works

A N N E X

An airline designated by the Government of India shall be entitled to operate air services in both directions on the routes specified in this paragraph and to land for traffic purposes in the territories of Iraq at each of the points therein specified:

Route 1: India, points in Pakistan, points in Afghanistan, points in Iran, to Basrah and, if desired, beyond, or Baghdad, points in Europe (including Turkey) and, if desired, beyond.

Route 2: India, a point in Pakistan, Jeddah, Dhahran, Bahrain, points in Iran, to Basrah and, if desired, beyond, or Baghdad, points in Europe (including Turkey) and, if desired, beyond.

2. An airline designated by the Government of Iraq shall be entitled to operate air services in both directions on the routes specified in this paragraph and to land for traffic purposes in the territories of India at each of the points therein specified:

Route 1: Iraq, points in Iran, points in Afghanistan, points in Persian Gulf, Jeddah, Karachi, Delhi or Calcutta and, if desired, beyond.


Route 2: Iraq, points in Iran, points in Afghanistan, points in Persian Gulf, Jeddah, Karachi, Bombay and, if desired, beyond.

3. (A) Points on any of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights.

(B) if, at any time scheduled flights on any of the specified air services of one Contracting Party are operated so as to terminate in the territory of the other Contracting Party and not as part of a through air service extending beyond such territory, the latter Party shall have the right to nominate the terminal point of such scheduled flights on the specified air route in its territory. The latter Party shall give not less than six months notice to the other Party if it decides to nominate a new terminal point for such scheduled flights.

0000000

44



الطبعة الأولى

يحق للمؤسسة الجوية المعنية من قبيل حكومة الهند تسخير مصالح جوية في كل الأتجاهين على السبيل العملياته ادناء والهبوط لاغراض اتفقل في الاراضي العرقية في كل نقطة من نقاط العينية في

1

السبيل الثاني — البند — بخطبة في البكمدان سجدت الظبران — ثم الى البصرة وبايضاً الى اربيل في اوروبا — نفاط في ايسرا

٢ - يحق للمؤسسة الجوية المرسية من قبل حكومة العراق تسيير صالح جوية في كل الاتجاهين على المسيل العميق ادنا . والموهود لاغراض النقل في الارضي البند يتفق كل نقطة من

سکونت ایجاد کنید

السبيل الثاني — العراق — نقاط في إيران — نقاط في افغانستان — نقاط في الخليج الفارسي
كوجي — دلهي أو كلتنا وماراها اذا اردت ذلك .

سَمَّاً سَمَّاً - سَمَّاً سَمَّاً - سَمَّاً سَمَّاً - سَمَّاً سَمَّاً

المعينة في جمهور رحلاته او في اعضاها.

卷之三

دون ان تتعدوا الى خرج اراضيه فيكون من حق هذا الطرف الآخر تعين التقاطع

إيضاً إن يعطي الطرف الآخر انتظاراً لا يقل مدته عن ستة أشهر، كلما قصر تأخير

جذب يد و میل خداه از جن جذب است و باید باشد.

المادة الرابعة عشرة

أـ لمقاصد اهذا الاتفاق يكون للمبارات "إقليم" "صلحية جوبية" دولة "نقط جوي" اعماني اسمية لهـا في ميناء الطيران الدُّنـي ولـسي الموقـع

عليـه في شيكافو في ٧ كانون الاول ١٩٤٠

بـ يـراد بـ "الـسـلـطـاتـ الـجـوـرـيةـ" بالـنـسـبـةـ لـلـهـنـدـ مدـغـرـ الطـيـارـانـ الـدـنـيـ السـامـ وـالـنـسـبـةـ للـعـرـاقـ مدـغـرـ الطـيـارـانـ الدـنـيـ السـامـ وـالـنـسـبـةـ الـىـ كـلـيـهـ عـمـاـ يـوـادـ يـهـاـكـ شـخـصـ اوـ هـيـةـ مـخـولـةـ بـاتـتـيـاـمـ بـالـمـهـاـمـ الـىـ تـعـارـسـهـاـ تـلـكـ السـلـطـاتـ فـيـ الـوقـتـ الـحـاضـرـ

المادة الخامسة عشرة

يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءاً منه وكل اشارة الى الاعتقاد في تشمل الاشارة الى الملحق اياً الا انها بصراحة على خلاف ذلك.

وشهادة على ذلك وقع المفوضان المخولاـن رسـمـيـاـ عـلـىـ هـذـاـ الـاعـتـقـاـقـ حـرـفيـ الـيـوـمـ السـابـعـ وـالـمـشـرـينـ مـنـ شـهـرـ شـهـرـ شـهـرـ ١٩٥٥ـ الـمـيـلـادـيـ بـالـلغـاتـ الـهـنـدـيـةـ وـالـسـرـيـةـ وـالـكـلـذـيـةـ وـتـعـتـبـرـ النـصـوـنـ الـثـلـاثـيـةـ رـسـمـيـةـ عـلـىـ التـسـاوـيـ الـاـنـهـ فـيـ حـالـةـ حـصـولـ شـكـ يكونـ النـصـ الـكـلـذـيـ هوـ السـعـولـ عـلـيـهـ

مـصـطفـىـ عـلـيـهـ
عـنـ حـكـومـةـ الـمـهـاـمـ

عـنـ حـكـومـةـ الـمـهـاـمـ

كل من الطرفين المتناقل بين في أي وقت كان لبعضهما البعض الطرف الآخر الاختلاط في انتهاه
هذا الاتفاق ويجب في نفس الوقت تبليغ منظمة الطيران المدني الدولي بهذه الاخطار وينتهي هذا
الاتفاق بعد موافقة واحدة من تاريخ تسلمه الطرف الآخر الاختلاط الا اذا سحب بلا تنازل
موارد (٤) يوما من تاريخ تسلمه من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.

الطبعة الأولى

- بـ - إذا نشأ بين الطرفين المتعاقد بين خلاف حول تفسير هذا الاتفاق أو تعريفه فيباليء إلى تسويته بالموافقة بهما.

١ـ - إن يعترض طرفان المتعاقد أن عن التوصل إلى حل الخلاف بطرق المفاوضة فالملاكم ينبع من الإتفاق بينهما.

٢ـ - إن يعترض طرفان المتعاقد أن عن التوصل إلى مجلس تحكيم أو إلى أي شخص أو هيئة تعين بالإتفاق بينهما.

٣ـ - إذا لم يتفق على إحالة النزاع إلى مجلس تحكيم أو إذا امتناع على أحدهما التزام على مجلس تحكيم والآخرها عجزه.

٤ـ - إن يقرر تاليفه ضمن منظمة الطيران المدني الدولي وأن الام يكن هناك مجلس كهذا في الحال

الى محكمة العدل الدولية.

٥ـ - يتعهد طرفان المتعاقد أن بالاستدلال إلى أي قرار يصدر بمقدمة الفقرة (ب) متن هذه المادة وعند ذلك أية توصية مؤتمنة.

٦ـ - إذا لم يتم أحد الطرفين المتعاقدين أو مؤسسة جوية معينة من قبله بمراعاة الفراز الصادر وقت توقيع الفقرة (٤) من هذه المادة واستمر على ذلك فللطرف المتعاقد الآخر تعيينه الحق في-

التي ينبع منها بمقدمة الفقرة (ب) من هذه المادة واستمر على ذلك فللطرف المتعاقد الآخر تعيينه الحق في-

الحادية عشرة

ان هذا الاعناق ينبع للبرام ويصبح نافذ المعمول من تاريخ تبادل وتأشيق الابرام السندى

البادرة الثالثة عشرة

في حالة اضمام الطرفين المتعاقد بين الى موافق او اعتناق متعدد الاطراف يخص النقل الجوي

الجوية العادلة لاكر الدول حظرة او المؤسسات الجوية الوطنية العاملة في المجال الجوية الدولية على ان لا يكون ايمن الطرفين المتعاقدين بذلما يفتح المؤسسات الجوية المعينة من قبل المطرب المتعاقد الآخر استثناء او لغاء من الرسموم الكورة او جر الفحص او غيرها من الرسموم المعاشرة مالم يفتح هذا الطرف الآخر استثناء او لغاء مثلا الى المؤسسات الجوية المعنية من قبل المطرب المتعاقد الاول.

المادة الخامسة

يحيف كل من الطرفين المتعاقدين لنفسه بحق توقيف رخصة التشغيل او الشانه او تقييد بها عراه مناسبها من الشرط فيما اذا لم يتحقق بيان الجانب الهم من ملكية المؤسسة الجوية والسيطرة الفعلية عليهما بعد وعليها الطرف المتعاقد الآخر او في حالة فشل المؤسسة الجوية المعنية من قبل الطرف الآخر في موافاة قوانين وانشطة الطرف الاول او اذا اعجزت " بمنظور الطرف الاول " عن تنفيذ الشرط والمتى يقتضها متحت لها الحقوق بموجب هذا الاتفاق. وفيما عدا حالة العجز عن موافاة القوانين والأنظمة لاستخدام هذه الاجراءات الا بعد التشاور بين الطرفين. واذا اغفر احد الطرفين باتخاذ اجراءاً بمحض هذه المادة فلا يمس ذلك ما للطرف الثاني من الحقوق المخولة له بموجب المادة السادسة عشرة.

المادة السادسة

أ - تشاور السلطات الجوية في كل من الطرفين المتعاقدين من التعاون المؤتي وفضلياً مولعید منتظمة لرعاة اليمادى التي انطرويليهما هذا الاتفاق وتنفيذ نصوصه .
 ب - لكل من الطرفين المتعاقدين ان يطلب التشاور مع الطرف الآخر في اي وقت شاء بحسبه ادخال اية تعديلات قد يرغب فيها على هذه الاتفاق وبعد اهذا التشاور في ظرف يومamen تاريخ وقوع الطلب وان اية تعديلات يتفق عليها بنتيجة هذه المشاورات تحيص نافذة الفضول بعد استكمال الشكل الذي تتطلبه القواعد التشريعية في كل من البلد .

ج - لا تعد التغييرات التي يجريها احد الطرفين المتعاقدين في السبل الجوية " عدداً تبديل الاماكن التي تمثل فيه المؤسسات الجوية المعنية فيبلاد الطرف المتعاقد الآخر " تغيير لهذا الاتفاق. لذلك يجوز لسلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين القيام بغير هذا بهذه الشيء بلات بشرط اخبار سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر دون ابطاء، واذا وجدت سلطات الطيران الاخرية انه بالنظر الى المبادئ الموضوعية في هذا الاتفاق بيان مصالح اي من مؤسساتها الجوية قد تضررت بغير اولة موسستجوية مبنية من قبل الطرف المتعاقد، الاول النقل من بلاد الطرف المتعاقد الثاني الى النقطة الجديدة الرابعة في القلم د ولذلك فلن ركز الطرف المتعاقد وقا لا حكم الفقرة (ب) من هذه

ج - يكفل كل من الطرفين المتعاقدين المعاشرة الجوية التي يمكّنها بموافقة السلطات الجوية للطرف الآخر بالحصول على تقليل خطر طرها الجوي إلى أقلّم الطرف الآخر أو منه أو فوقه مع بيسان من شأن المعنقول والجهات التي انتهت إليها.

— 1 —

— 10 —

مهم إلقاء أحكام المادة الرابعة يحوز لشهود سبات الجوية المعنية الدائدة لأحد الطرفين المتناقضين
الذى يتقدرون بتشغيل صالح جوية معينة ان بغري في او يشن من اراضي الطرف المتناقض

المادة الرابعة

- يجب على السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين ان تقدر بصورة مشتركة وخلال فترة متفق عليها عدد الطائرات التي يحتاج اليها في اتفاق واستيعابها بالنسبة لمقدار الحمولة المتيسر من جميع انواع المنقولات من ركاب و�مائه وبريد والتي يعقل توقيع نشوئها في اقل من كل من الطرفين المتعاقدين وغريفيتها في اقل من الطرف المتعاقد الآخر من قبل المصادر الجوية المعينة التي تشغله خلال هذه الفترة في اس سبيل الجوية المعينة وعلى السلطات الجوية ان تقدر بعد ذلك عدد الطائرات وعدد الرحلات التي تسويها المؤسسة الجوية المعنية المساعدة لادى من الطرفين المتعاقدين .

ب - تعنى عبارة " الفترة المتفق عليها " في هذه المادة الاى تنتهي عشر شهرا الاول ابتداء من تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ ثم كل اى عشر شهرا تعميها مالم يتحقق على خلاف ذلك بين السلطات الجوية .

ج - الى ان يتم اعداد النظر في عدد الطائرات وسعتها الواجب توافرها بحسب احكام هذه المادة يحق للغير سفاسن الجوية المعنية من قبل الطرفين المتعاقدين الاستمرار في تسيير مصالحهم

المادة الخامسة

- ١٧- تبادل سلطات الطرفين المتناقد بين الجورة يتسارع وقت مكمن المعلومات الخاصة بالغرض الذي منحه كل منها للآخر عيتيها لمواشرة خط يمتد نسفاً من الشهداد النافذة المفدى والترخيصات للعمل على السبل الجوية المعينة وإهبا إلى أراضي الطرف المتناقد الآخر أو أيها منها أو مارا بها وتشمل تلك المعلومات بما قد يتحققها من التعديلات والإستثناءات ببرامج الرحلات المأذون بهـ.

اتفاق بين حكومة الهند وحكومة العراق

— २४ —

ان حکومۃ البند وحکومۃ العراق المشار اليہما فیہما یلی بالطرفین المتفقہمین وکلناهم
طرفان مریمستان بیشاف الطیوان المدنی الد ولی راعناق العرور للصالح الجویا الد ولیسته الموق
علیہما فی شیکانو فی ۷ کانون الاول ۱۹۴۶ والملزمه شرطہم لکلا الطرفین.
بناء علی رغبہمما فی عقد اعناق لتشغيل صالح نزل جویا بین اقلیمیہما وبا وائیمما اتفقت

المادة الـ ١٢

يensus كل من الطرفين المتعاقدين على تشغيل الصالح الجوي للعينة .
في ملحق هذا الاتفاق والشار إليها فيما يلي " بالصالح الجوي للعينة " .

١- يجوز مباشرة كل من المصالح النبوية للمدينة إما فوراً أو في تاريخ مقبل حسب اختياره

الجوية المعينة" للسبيل الجوي المعين.

بـ يجوز تكليف المؤسسة الجوية المعنية بنـ شـتـ للـسـلـطـاتـ الـجـوـرـيـةـ التـابـعـةـ لـلـطـرفـ المـعـتـاقـ بـ الذـىـ منـحـ الـحـقـوقـ بـاـنـهاـ حـائـةـ عـلـىـ الـمـؤـهـلاـتـ الـفـىـ تـمـكـهـاـ مـنـ تـغـيـزـ الشـرـوطـ المـعـنـصـ وـصـ عـلـسـاـ فـيـ القـانـونـ وـالـنظـيـفـةـ الـمـطـلـقـةـ عـلـادـةـ مـنـ قـبـلـ تـلـكـ السـلـطـاتـ عـلـىـ تـشـغـيلـ مـصـالـهـ النـقـلـ

الجروي الد ولبي.

ج) سان تشغيل كل مصلحة منصال الجوايسة المعينسته يتوقف على تطلع الطرف المتدللذى يعنىيه الاوم بيان الوسائل الجاهرة للطريق ان المدنى على السبيل الجسوى المعين كاويسنة لتسهيل المصحال الجوايسة سدا امنسا.